श्रमिक पुनर्विचार न्यायाधिकरण[1] के 'अतिरिक्त लाभानुमान सूत्र[2]' की प्रयोज्यता[3] : एक सिंहावलोकन[4]

कमला माथुर

औद्योगिक श्रमिकों को बोनस देनेकी प्रथा भारतवर्ष में बहुत पुरानी है. आरंभ के दिनों में बड़े बड़े त्यौहारों पर उद्योगपति स्वेच्छा से श्रमिकों को बोनस दिया करते थे. प्रथम महायुद्ध से पूर्व भी रुपये या वस्तु के रूप में बोनस देनेकी प्रथा प्रचलित थी. प्रथम महायुद्ध-काल में बंबई के सूती कपड़ा मिलों के श्रमिकों को सर्व प्रथम जुलाई १९१७ में आधार भृति[5] पर दस प्रतिशत बोनस दिया गया. इसी समय से बोनस पर औद्योगिक झगड़े होना भी आरंभ हो गया. उन दिनों भी जब कि बोनस एक अनुग्रहात्मक[6] अधिवेतन समझा जाता था, इसका दिया जाना उसी वर्ष के लाभ पर निर्भर करता था. बोनस के स्वरूप और आधार पर विचार करनेके लिये सन १९२४ में नियुक्त मैकलॉयड कमिटी ने भी यही विचार प्रकट करते हुए कहा था कि किसी वर्ष में बोनस तभी दिया जा सकता है जब कि उसी वर्ष में कंपनी को लाभ हुआ हो. द्वितीय महायुद्ध-काल में उद्योगपतियों ने स्वेच्छा से, श्रमिकों को प्रोत्साहित रखनेके लिए बोनस दिया क्यों कि उन्हींके सहयोग से उद्योग उस काल में भारी लाभार्जन कर रहे थे.

बोनस के लिए श्रमिकों का अधिकार अभी तक भी उद्योगपति के अनुग्रह पर निर्भर समझे जाने के कारण, इसका मिलना उद्योगपति की इच्छा पर ही निर्भर था. अतः द्वितीय महायुद्ध-काल में भारत सुरक्षा अधिनियम[7] के ८१ वें नियम§ के अंतर्गत इस संबंध में बहुत-से औद्योगिक झगड़े अधिनिर्णय[8] के लिये प्रस्तुत किये गये. सन १९४८ में भारत सरकार ने लाभ-सहभाजन के लिये एक कमिटी नियुक्त की, परंतु यह भी इस संबंध में कोई एक निश्चित योजना न बना सकी, और इसने बोनस का विवेचन प्रत्येक झगड़े में अलग-अलग रूप से करना ही अधिक उचित समझा. हाँ, कमिटी के विचार में बोनस कुल अतिरिक्त लाभ का पचास प्रतिशत भाग

१. श्रमिक पुनर्विचार न्यायाधिकरण - Labour Appelate Tribunal
२. 'अतिरिक्त लाभानुमान सूत्र'– 'available surplus formula'
३. प्रयोज्यता - applicability
४. सिंहावलोकन - review
५. आधार भृत्ति - basic wage
६. अनुग्रहात्मक - exgratia
७. भारत सुरक्षा अधिनियम - Defence of India Act
८. अधिनिर्णय - adjudication

§ इस नियम के अनुसार सरकार किसी भी औद्योगिक झगड़े को समझौत अथवा अधिनिर्णय के लिए रख सकती थी, जिसमें पहुंचा हुआ निर्णय भी श्रमिकों और उद्योगपति पर अनिवार्य रूप से लागू होता था.

*प्रस्तुत लेख पूना विद्यापीठ द्वारा पी एच्. डी. डिग्री के लिये मार्च १९६३ में स्वीकृत लेखिका की थीसीज़ शीर्षक 'भारतवर्ष में औद्योगिक झगड़ों का निर्णय—विशेषतः औद्योगिक परिनिर्णय' पर आधारित है. इस अध्ययन के लिये सन १९४७ से १९५८ तक का काल चुना गया है.